न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या 106/2019
वाद–पत्र दिनांक : 20/08/2019
निर्णय दिनांक : 22/10/2019

1. मौहम्मद हुसैन पुत्र रहमान जाति मुसलमान, निवासी मौजमाबाद, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
2. मौहम्मद इस्लाम पुत्र रहमान जाति मुसलमान, निवासी मौजमाबाद, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

-- वादीगण

बनाम

तहसीलदारजी, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

-- प्रतिवादी

वाद घोषणात्मक व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – श्री राजेन्द्र सिंह खंगारोत
श्री रामजीलाल शर्मा
श्री संजय सिंह सिरोही
विद्वान अधिवक्ता वादीगण

प्रतिवादी की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 22/10/19

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद–पत्र बाबत घोषणात्मक व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खतौनी संख्या 993 के आराजी खसरा नम्बर 4861 रकबा 0.0800 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन पाल वाके ग्राम मौजमाबाद, तहसील मौजमाबाद, में स्थित है, जो वर्तमान में वादीगण के नाम खातेदारी चली आ रही हैं। वादीगण की खातेदारी की आराजी में वादीगण ने पर्चा आने के पश्चात उक्त आराजी में नवीन चाह का निर्माण आज से करीब 20–25 साल पहले करवा लिया था। उक्त चाह का अंकन राजस्व रिकार्ड में राजकीय कारकुनानों द्वारा इन्द्राज नही किया गया और अब तक उक्त चाह बिना इन्द्राज के मौके पर स्थित हैं। वर्तमान में पानी की समस्या है और वादीगण अपने उक्त चाह को बैंक ऋण प्राप्त कर गहरा करवाना चाहते है, जिसके लिये चाह का अंकन राजस्व रिकार्ड में करवाया जाना आवश्यक है एवं उक्त चाह में सिंचाई हेतु विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता है, जिसके लिये बिना चाह के अंकन हेतु कृषि कनेक्शन नही दिया जाता हैं। वादीगण ने प्रतिवादी के यहा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अंकन करवाना चाहा एवं आराजी में चाह बना है, जिसका उपयोग सिंचाई के

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

Scanned by CamScanner

उपयोग के लिये किय जा रहा है जिसको विधिवत खसरा नम्बर 4861 से अलग करवाकर चाह का इन्द्राज करवाना चाह लेकिन प्रतिवादी द्वारा उक्त चाह की भूमि का विभाजन तो वादीगण की सहमति से नक्शा ट्रेस में कर दिया गया लेकिन चाह का अंकन नही किया गया। आराजी खसरा नम्बर 4861 रकबा 0.0800 हैक्टेयर किस्म गैरमुमकिन पाल के स्थान पर चाह वाके ग्राम मौजमाबाद, तहसील मौजमाबाद का वादीगण संयुक्त रूप से चाह सहित आराजीयात है, जिनकी घोषणा वादीगण करवाने के अधिकारी है, लेकिन प्रतिवादी ने उक्त आशय की चाराजोंही के लिये दिनांक 20/07/2019 को वादीगण को कहा इसलिये वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ हैं।

वादीगण ने वाद–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि "वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर घोषणा इस अमर की फरमायी जावें कि आराजी खसरा नम्बर 4861 रकबा 0.0800 हैक्टेयर किस्म गैरमुमकिन पाल वाके ग्राम मौजमाबाद में चाह का अंकन किये जाने की आज्ञा तहसीलदार मौजमाबाद को दिलवायी जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनांक 07/10/2019 को प्रतिवादी की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। वकील वादीगण साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण व पैरोकार की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादीगण व पैरोकार की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेजात सत्य प्रति नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी खतौनी संख्या 993 सम्वत 2071 से 2074 एवं पैरोकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के खाता संख्या 993 में खातेदार मौहम्मद हुसैन, मौहम्मद इस्लाम पि0 रहमान खां सा0 देह दर्ज है, वादीगण के कथनानुसार उक्त भूमि में वादीगण ने चाह बना रखा है, जिसका राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज नही है, इसलिये न्यायहित में इन्द्राज किया जावें।" तहसीलदार मौजमाबाद की रिपोर्ट के अनुसार "उपरोक्त आराजी में लगभग 20–25 वर्ष पूर्व पुराना पक्का कुंआ (गै.मु. चाह) बना हुआ है, उक्त कुंआ वर्तमान सैटलमेन्ट से पूर्व का निर्मित होते हुए भी वर्तमान सैटलमेन्ट में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा दर्ज नही किया गया हैं। उक्त चाह का मौका निरीक्षण कर नक्शे में लाल स्याही से

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) दूदू

Scanned by CamScanner

दर्शाया गया हैं। मौका स्थिति अनुसार प्रस्तावित नवीन गै.मु.चाह का रकबा 0.01 हैक्टेयर एवं शेष रकबा 0.07 हैक्टेयर गै.मु. पाल हैं आराजी खसरा नम्बर 4861 में 0.01 हैक्ठेयर भूमि पर गै.मु. चाह है एवं 0.07 हैक्टेयर भूमि पर गै.मु. पाल हैं।'' इस प्रकार तहसीलदार मौजमाबाद की रिपोर्ट के अनुसार वादीगण के खसरा नम्बर 4861 रकबा 0.08 हैक्टेयर में से मौके पर 0.07 हैक्टेयर भूमि पर गै.मु. पाल है तथा 0.01 हैक्टेयर भूमि पर गै.मु. चाह बना हुआ है, जिसका राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नही हे, चूंकि उक्त खसरा नम्बर 4861 के वादीगण रिकार्डेउ खातेदार काश्तकार हैं, इसलिये न्यायहित में कुंये का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। तहसीलदार मौजमाबाद ने भी अपने तथ्यात्मक जवाब में वादीगण के वाद को स्वीकार कर डिकी किये जाने की अनुशंषा की हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा 4861 रकबा 0.0800 हैक्टेयर किस्म गैरमुमकिन पाल वाके ग्राम मौजमाबाद तहसील मौजमाबाद में मुताबिक मौके कब्जे अनुसार गै.मु. चाह का अंकन किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22/10/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू (जयपुर)

Scanned by CamScanner

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन : 31[illegible]

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) मुकाम दूदू

इजलास राजेन्द्रसिंह शेखावत R.A.S

(1) मोहम्मद हुसैन पुत्र रहमान बनाम तहसीलदार
जाति मुसलमान सा. मोजमाबाद दावा बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा
(2) मोहम्मद इस्लाम पुत्र रहमान जाति
मुसलमान सा. मोजमाबाद मुकदमा नं. 106 सन 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राजेन्द्रसिंह शेखावत RAS

व हाजिरी .... मिनजानिब मुद्दई रूबरू ....

.... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 4861 रकबा 0.08 हे० किस्म गै० मु.पाल वाके ग्राम-मोजमाबाद में उत्तरी मौके नक्शे अनुसार गै० मु० राह का अंकन किये जाने के आदेश प्रदान किए जाते हैं।

निज .... मुवलिग .... बाबत -

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह .... फीसदी ...... आज की तारीख से

तारीख अदायगी तक .... का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22 माह 10 सन 2019 को

जारी की गई।

दस्तखत [signature]

ओहदा सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू

मुहर (stamp: सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू)

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट :- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना च

Scanned by CamScanner